संख्या–428 / xvi / 08 / 7(29) / 08

प्रेषक,

अर्जुन सिंह,
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण
उद्यान भवन, चौबटिया, रानीखेत।

उद्यान एवं रेशम अनुभागः–1 देहरादूनः दिनांक 01 मई,2008

विषयः–वित्तीय वर्ष 2008–09 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–31 के आयोजनागत पक्ष में राज्य सैक्टर की योजनाओं के कियान्वयन हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–780 / 1–1(102) / 2008–09,दिनांक 27 मार्च, 2008 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–31(टी0एस0पी0) के अंतर्गत आयोजनागत पक्ष में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग से संबंधित राज्य सैक्टर की चालू योजनाओं के कियान्वयन हेतु कुल प्राविधानित रू0–1,11,88.00 हजार के सापेक्ष रू0–86.66लाख (रूपये छियासी लाख छियासठ हजार मात्र) की बजट व्यवस्था संलग्न विवरणानुसार व्यय हेतु आपके निर्वतन / आवंटन में रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल महोदय निम्नांकित शर्तानुसार सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1– इस धनराशि का व्यय केवल चालू कार्यो के लिये ही किया जायेगा।

2– धनराशि का आहरण एवं व्यय वास्तविक आवश्यकतानुसार ही किस्तों के रूप में किया जायेगा।

3– उक्त व्यय करते समय वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–267/XXVII(1)/2008, दिनांक–27 मार्च, 2008 (छाया प्रति संलग्न) में दिये गये दिशा–निर्देशों तथा शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों / निर्देशों एवं बजट मैनुअल के सुसंगत नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

4– किसी भी शासकीय व्यय हेतु भण्डार कय प्रकिया (स्टोर्स पर्चेस रूल्स) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिष्पादन नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 आय व्यय सम्बन्धी नियम शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5– अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग त्रैमास के आधार पर शासन को उपलब्ध करायी जाय, जिससे राज्य स्तर पर कैशफ्लों निर्धारित किए जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो।

6– व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय तथा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

7– व्यय केवल उन्हीं मदों में किया जाय, जिनके लिए यह स्वीकृति निर्गत की जा रही है, साथ ही किसी भी प्रकार के मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं रहेगा।

8– व्यय की सूचना प्रपत्र बी0एम0–13 पर प्रत्येक माह की 20 तारीख तक वित्त विभाग को अवश्य उपलब्ध कराई जाय तथा धनराशि का आहरण / व्यय एकमुश्त न करके आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

9– योजनावार स्वीकृत धनराशि का व्यय संबंधित योजना के संगत दिशा–निर्देशों के अनुरूप ही की जायेगी। किसी भी दशा मे संगत दिशा–निर्देशों से इतर कार्यवाही नही की जायेगी।

...2 /

10– यह सुनिश्चित कर लिया जाय,कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्र उपयोजना (टी0एस0पी0) हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों/ग्रामों में अथवा अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों हेतु ही किया जाय।

11– उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि विभाग के नियंत्रणाधीन संबंधित आहरण–वितरण अधिकारियों को तात्कालिकता से अवमुक्त कर दी जाय, ताकि फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हों।

12– उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि वार्षिक योजना में 2008–09 में योजनावार अनुमोदित परिव्यय की सीमान्तर्गत अवमुक्त की जा रही है। अतएव योजनावार प्राविधानित बजट व्यवस्था के सापेक्ष अवशेष धनराशि की स्वीकृति हेतु परिपक्व एवं औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने पर ही अतिरिक्त परिव्यय अनुमोदित कराते हुए धनराशि की स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

13– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 में अनुदान संख्या–31 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2401–फसल कृषि कर्म–00–आयोजनागत–796–जनजाति क्षेत्र उपयोजना –00–के अन्तर्गत संलग्न विवरण में अंकित सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नाम डाला जायेगा।

13– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–43(P)/XXVII–4/2008,दिनांक–28 अप्रैल,2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(अर्जुन सिंह)
अपर सचिव।

संख्या–428/xvi/08/7(29)/08/तददिनांकः

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिग माजरा, देहरादून।
2– वित्त अनुभाग–4/समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
3– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय/राज्य योजना आयोग,उत्तराखण्ड।
5– राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
6– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
7– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अहमद अली)
अनुसचिव।

शासनादेश संख्या–428/XVI/08/7(29)/08, दिनांक–01 मई,2008 का संलग्नक

वित्तीय वर्ष 2008–09 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–31 के आयोजनागत पक्ष में राज्य सैक्टर की चालू योजनाओं के कियान्वयन हेतु स्वीकृत की जाने वाली धनराशि का विवरणः–

(धनराशि हजार रूपयें में)

क0 सं0	लेखाशीर्षक /योजना का नाम/मद	आय–व्ययक प्राविधान	स्वीकृत की जा रही धनराशि
1	2	3	5
	अनुदान सं0–31 लेखाशीर्षक–2401–फसल कृषि कर्म–00– आयोजनागत–796–जनजाति क्षेत्र उपयोजना–00–		
1–	03–उत्तरांचल में जनजाति क्षेत्रों/ व्यक्तिगत विकास हेतु औद्यानिक विकास		
	20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता	3500	3259
	योग– 03	**3500**	**3259**
2–	04–राजकीय उद्यानों का सुदृढीकरण		
	02– मजदूरी	900	900
	08–कार्यालय व्यय	15	15
	09–विद्युत देय	10	10
	11–लेखन सामग्री और फार्मो का छपाई	10	10
	15–गाडियो का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	50	50
	18–प्रकाशन	10	10
	24– वृहत निर्माण कार्य	1	-
	25–लघु निमार्ण कार्य	7	7
	26–मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयत्र	20	20
	29–अनुरक्षण	10	10
	31–सामग्री और सम्पूर्ति	800	800
	42–अन्य व्यय	100	100
	योग–04	**1933**	**1932**
3–	06–मधुमक्खी पालन की योजना		
	20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता	200	200
	21–छात्रवृत्तियॉ और छात्रवेतन	75	75
	योग–06	**275**	**275**
4–	21–सघन एवं बेमौसमी सब्जी उत्पादन का विकास		
	31–सामग्री और सम्पूर्ति	1800	1800
	योग–21	**1800**	**1800**
5–	29–घेरबाड़ योजना		
	20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता	**3680**	**1400**
	योग–29	**3680**	**1400**
	कुल योग (राज्य सैक्टर)	**11188**	**8666**

(रूपये छियासी लाख छियासठ हजार मात्र)

(अर्जुन सिंह)
अपर सचिव।